बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या–26/2023 के तहत् अनुशंसित 59 उम्मीदवारों को Debarred किये जाने के सम्बन्ध में।

विज्ञापन संख्या–26/2023 के अन्तर्गत शिक्षक भर्त्ती परीक्षा में कुल–59 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने–अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में गलत सूचना देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अंतिम रूप से चयनित भी हुए। उक्त चयनित एवं अनुशंसित सूची के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा आपके योगदान हेतु आपके प्रमाण पत्रों (Degree) की जाँच की गई एवं पाया गया है कि 59 अभ्यर्थी समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं या अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते है। [सूची संलग्न जिसमें आपके नाम के सामने कारण दर्ज है]

इस प्रकार आपके द्वारा अपने आवेदन पत्र में घोषणा के साथ गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएँ दी गई हैं। आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचना देने, साक्ष्य को छुपाने, गलत सूचना पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने की कुचेष्टा करने का प्रयास किया गया है जो एक कदाचार एवं अपराध के श्रेणी में आता है, जिसके लिए आप सीधे–सीधे दोषी हैं।

अतः इस सूचना के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आयोग के **Website/Email- www.onlinebpsc.bihar.gov.in/ bpscpat-bih@nic.in** पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपके इस कृत्य के लिए आपको अगले 05 वर्षों तक के परीक्षाओं से Debarred किया जाय। दिनांक 30.11.2023 तक यदि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो समझा जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। आपके विरूद्ध आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

16.11.2023

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक (TRE),
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।